न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर
(आर॰ए॰एस॰)

प्रार्थना पत्र संख्या 04 / 2021

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. रेखसिह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. शिवनाथ सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–आवेदकगण

– बनाम –

1. अनुज पुत्र राजकुमार
2. अरविन्दा पुत्री राजकुमार
3. आकाश पुत्र राजकुमार
4. सन्जू देवी पत्नी राजकुमार
5. जमनी देवी पत्नी नारायण
6. भागीथ पुत्र नारायण
7. मुकेश पुत्र नारायण
8. विजेन्द्र पुत्र नारायण
9. सुमेर सिह पुत्र नारायण
10. हरिराम पुत्र नारायण
11. दानाराम पुत्र नाथाराम
12. मोहरी देवी पत्नी दानाराम
13. नितेश पुत्र भोपाल
14. यसवनत सिंह पुत्र भोपाल
15. सुशिला देवी पत्नी भोपाल
16. राजवीर पुत्र चन्दगी
17. निर्मला पत्नी चन्दगी
18. विकास पुत्र इन्द्राज
19. सरजीत देवी पत्नी इन्द्राज
20. श्रीराम पुत्र झाबर
21. श्रीचंद पुत्र मालाराम
    समस्त जातिगण जाट निवीसगण निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
22. प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
23. प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डाबडी बलौदा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
24. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी
अं.धारा 111 व 128 रा0भू0राज0 अधि0

वकील प्रार्थी : अशोक कुमार जागिड़
वकील अप्रार्थी : एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

निर्णय दिनांक 08–03–2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवे[illegible] गया कि आवेदकगण व अनावेदकगण एक ही गांव के स्थाई निवासी है तथा [illegible] में खेतो के पडौसी है। वा[illegible] निवाई की सरहद में आवेदकगण की खातेदारी की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.54 हैक्टर, खसरा [illegible] रकबा 3.52 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 7.06 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि के आवेदकगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है,

ए.सी. ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

खातेदार गोरा देवी पत्नी रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है तथा खातेदार दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र पिछले 16–17 वर्षो से लापता है, इसलिए उन्हे पक्षकार नही बनाया है।

वाके ग्राम निवाई की सरहद में अनावेदक नम्बर 1 लगायत 15 भूमि खसरा नम्बर 29 के खातेदार काश्तकार है तथा अनावेदक नम्बर 16 लगायत 20 भूमि खसरा नम्बर 28 के खातेदार काश्तकार है तथा अनावेदक नम्बर 21 खसरा नम्बर 30 का खातेदार काश्तकार है आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 23 की पूर्वी सीमा पर अनावेदक नम्बर 1 लगायत 20 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 28, 29 है तथा आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 31 की पश्चिमी सीमा पर अनावेदक नम्बर 1 लगायत 15 व 21 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 29, 30 लगती है।

आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 20 के मध्य प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में बी से एफ सीमा यानि कि खसरा नम्बर 23 व 28, 29 के मध्य ही सीमायें स्थाई सीमा चिन्ह के पत्थर नही लगे हुये है, जिस कारण अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 20 आये दिन विवाद करते रहते है, जिस कारण प्रार्थी ने तहसीलदार नवलगढ के यहां सीमा ज्ञान दिनांक 20.06.2021 का करवाया, पटवारी हल्का ने सर्वेशीट व रिकार्ड के मुताबिक मौके पर सीमाज्ञान करवाया तथा सीमा चिन्ह लगाकर बताये परन्तु खसरा नम्बर 278, 29 के खातेदार अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 20 मौके पर पटवारी हल्का द्वारा बताये गये सीमा चिन्ह पर पुख्ता पत्थर लगाने नही दिया और मोके पर लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गये। इसी प्रकार आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 30 की पश्चिमी सीमा का भी सीमा ज्ञान तहसीलदार नवलगढ़ के यहां से दिनांक 20.06.2021 को करवाया और पटरवारी हल्का निवाई ने आवेदगण व अनावेदकगण नम्बर 16 लगायत 21 को खसरा नम्बर 29, 30 व 31 के मध्य से सीमा का सीमाज्ञान करवाकार सीमा चिन्ह लगाये परन्तु अनावेदक नम्बर 16 लगायत 21 आवेदकगण का पटवारी हल्का द्वारा बताये गये स्थाई सीमा चिन्हों पर पत्थर नही लगाने दिया और लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गये जबकि आवेदकगण ने बाकायदा नियमानुसार तहसीलदार नवलगढ के यहां सीमाज्ञान का आवेदक कर पटवारी हल्का निवाई सीमाज्ञान करवाया है, उक्त सीमाज्ञान की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 23 व 31 आवेदकगण की है तथा खसरा नम्बर 28, 29 व 30 अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 21 की खातेदारी की भूमि है, जिसमें आवेदकगण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बी से ए व एल से जे सी डी बिन्दुओं की सीमाओं पर पुख्ता पत्थर गड्डी करवाना चाहता है। उक्त नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के भाग है जो साथ पढा जावे। उक्त सीमाज्ञान होने के पश्चात मौके पर अनावेदकगण पत्थर गड्डी नही करने देते है और मरने मारने पर उतारू हो जाते है, क्योकि अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 21 संख्याबल में आवेदकगण से अधिक है तथा बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है, पत्थर गड्डी में लगने वाले आवश्यक खर्चे आवेदकगण वहन करने को तैयार है, अगर मौके पर अनावेदकगण पटवारी हल्का व सक्षम राजस्व कर्मचारियों को पत्थर गड्डी नही करने देते है तो मय पुलिस जाप्ता के पत्थरगडी करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 23 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 31 की पश्चिमी सीमा पर पत्थर गड्डी करवाये जाने का आदेश प्रदान करवाये।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदकगण जारी कर अनावेदकगणों को तलब किया गया। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 23 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस वकील आवेदकगण सुनी गई। विद्वान आवेदकगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा दिनांक 20.06.2021 करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करने का निवेदन किया।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2021 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है। आवेदकगण को अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकार है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राज[illegible] की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 23 व खसरा नम्बर 31 की फर्द मौका (सीमाज्ञान) [illegible] 20.06.2021 के [illegible] शुल्क राजकोष में आवेदकगण द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि के सीमाओं [illegible] तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 निर्णय [illegible] पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08[illegible]–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:30 IST
Reason: SelfAttested

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़